न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 536/2016

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. छोटूराम पुत्र शिवलाल जाति जाट निवासी खाखडकी तहसील मेड़तासिटी जिला नागौर (राज.)		1. माधाराम पुत्र ओगड़राम जाति जाट निवासी खराड़ी तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956

तारीख रजू:.07/10/2016

- उपस्थितः. 1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 19/06/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, एवं धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि राजस्व मौजा-खराड़ी पटवार क्षैत्र डिगरना भू.अ.क्षैत्र निम्बोल तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 214 रकबा 12-5 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 215 रकबा 09-19 बीघा किस्म बारानी दोयम तथा खसरा नम्बर 259 रकबा 06-16 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 3 कुल रकबा 29 बीघा की कृषि भूमि आई हुई है। उपरोक्त खसरा नम्बर व रकबा की कृषि भूमि का वादी एक मात्र रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। नकल जमाबंदी संवत् 2070-2073 वादपत्र के साथ पेश है जो वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना व समझा जावें। वादी ने उक्त कृषि भूमि को उसके तत्कालीन खातेदार अमराराम पुत्र नाथाराम जाति जाट निवासी रजलानी तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर के जरिये रजिस्टर्ड शैलडीड के दिनांक 4/7/2016 को खरीद की थी और उक्त रजिस्टर्ड शैलडीड के आधार से उक्त कृषि भूमि के संबंध में वादी के पक्ष में म्यूटेशन संख्या 1993 दिनांक 10/7/2016 को पारित किया गया। इस प्रकार से उक्त खरीद के आज दिन तक वादी उक्त कृषि भूमि का एक मात्र खातेदार काबिज काश्तकार है। उक्त खसरा नम्बर व रकबा की कृषि भूमि पर वादी का एक मात्र कब्जा काश्त है तथा वादी स्वयं ही एक मात्र उक्त कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करता है। प्रतिवादी जिसका उक्त कृषि भूमि का खातेदार है और ना ही सहखातेदार व सहकाश्तकार है एवं न ही प्रतिवादी का उक्त कृषि भूमि पर कोई कब्जा काश्त है परन्तु फिर भी प्रतिवादी कानून हाथ में लेकर अवैध रूप से लाठी के बल पर वादी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की उक्त कृषि भूमि में वादी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जा काश्त में दखलंदाजी करता है। वादी अपने पैतृक गांव खाखडकी तहसील मेड़तासिटी जिला नागौर में रहता है और समय समय पर उक्त कृषि भूमि में फसल बोने, फसल से संबंधित अन्य कार्य करने व अपनी खातेदारी एवं कब्जा काश्त की उक्त कृषि भूमि का देखभाल करने जब भी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

आता है तब प्रतिवादी उक्त कृषि भूमि को जबरन हड़पने की नियत से वादी से लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो जाता है। वादी एक शांतिप्रिय व्यक्ति है तथा कानून मानने एवं सम्मानन करने वाला व्यक्ति है जबकि प्रतिवादी एक झगडालू प्रवृति का कानून को हाथ में लेकर वादी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि को लाठी के बल पर जबरन हडपना चाहता है तथा आए दिन उक्त भूमि में वादी के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जा काश्त में दखलंदाजी करता है इसलिये प्रतिवादी के उक्त अवैध कृत्यों के विरूद्ध यह स्थाई निषेधाज्ञा का वाद श्रीमान् के सेवा में पेश है। वादी द्वारा उक्त कृषि भूमि में बारिश की फसल बोकर व यथासमय काटकर अपने घर लेकर चला गया। दिनांक 20/9/2016 को जब वादी अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की उक्त कृषि भूमि की देखभाल करने के लिये अपने खेत में गया तो प्रतिवादी 3-4 लोगो के साथ में लाकर वादी को डराया धमकाया कि तेरी जमीन को मै जबरन हडप कर लूंगा तु बाहर गांव का व्यक्ति है तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रतिवादी ने वादी को कहा कि तेरी जमीन में लाठी के बल पर अतिक्रमण कर निर्माण वगैरा कर लूंगा वादी ने प्रतिवादी को समझाया परन्तु प्रतिवादी अपनी जिद्द पर अडा रहा। प्रतिवादी वादी की उक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि में अतिक्रमण कर कोई निर्माण नही करे प्रतिवादी के ऐसे अवैध कृत्यों के विरूद्ध वादी की और से यह स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र पेश है। प्रथम दृष्टिया मामला वादी के पक्ष में है क्योकि वादी वादग्रस्त कृषि भूमि का एक मात्र रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है क्योकि वादी उक्त भूमि पर काबिज है तथा काश्त करता है एवं उपयोग उपभोग करता है तथा प्रतिवादी ना तो उक्त भूमि का खातेदार है और न ही सहखातेदार व सहकाश्तकार है एंव न हि प्रतिवादी का कभी कोई कब्जा काश्त रहा है। परन्तु फिर भी प्रतिवादी वादी के खातेदारी अधिकारों एवं कब्जा काश्त में दखलंदाजी करता है एवं प्रतिवादी लाठी के बल पर जबरन धमकियां देता है यदि प्रतिवादी अपने अवैध कृत्यों में सफल हो जाता है तो निश्चित रूप से वादी को ही असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है। इसलिये प्रतिवादी के उक्त अवैध कृत्यों, दखलंदाजी एवं अतिक्रमण कर निर्माण को रोकने हेतु यह स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र सादर पेश है। बिनाय वाद दिनांक 20/9/2016 प्रतिवादी ने वादी को खातेदारी भूमि पर अवैध रूप से लाठी के बल पर अतिक्रमण कर कब्जा कर कच्चा पक्का निर्माण करने की ऐलानिया धमकी देने व वादी को कब्जे काश्त से बेदखल करने की धमकी देने पर बमुकाम खराडी तहसील जैतारण जिला पाली में उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में होने से वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान् के समक्ष पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी बावजुद सम्मन तामिल सूचना के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो चुकी हैं।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-डिगरना में पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। वकील वादी ने वाद के समर्थन में साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया सा0मि0 किया गया। वादी अपनी आराजी खसरा नम्बर 214 रकबा 12-5 बीघा किस्म बारानी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

दोयम, खसरा नम्बर 215 रकबा 09–19 बीघा किस्म बारानी दोयम तथा खसरा नम्बर 259 रकबा 06–16 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 3 कुल रकबा 29 बीघा खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। प्रतिवादी उक्त खसरा नम्बरान् में सहखातेदार एवं काश्तकार नही हैं। प्रतिवादी वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी करता हैं। माफिक हक हिस्से अनुसार वादी अपनी भूमि पर काश्त करे या करावें एवं काश्त मुतालिक कार्य करें, तो प्रतिवादी स्वयं एवं उनके हाली एजेन्ट, नौकर, चाकर इत्यादि को दखलन्दाजी नहीं करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। राजस्व मौजा–खराड़ी पटवार क्षैत्र डिगरना भू.अ.क्षैत्र निम्बोल तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 214 रकबा 12–5 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 215 रकबा 09–19 बीघा किस्म बारानी दोयम तथा खसरा नम्बर 259 रकबा 06–16 बीघा किस्म बारानी दोयम कुल खसरा 3 कुल रकबा 29 बीघा भूमि में वादी खातेदार काश्तकार हैं। माफिक खातेदार वादी अपनी भूमि पर काश्त करे या करावें एवं काश्त मुतालिक कार्य करें, तो प्रतिवादी स्वयं उनके हाली एजेन्ट, नौकर, चाकर इत्यादि को दखलन्दाजी नहीं करने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाकर पापन्द किया जाता हैं डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 19/06/2018 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र डिगरना पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner